

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम


फर्द अहकाम

मुं० नं० 154/17 तारीख 27 नू 19.12.17

उपान - जयनाथराव बनाम तहसीलदार टोडाभीम

दावा वाकत श्वातेदारी अधिकारी

वादी की ओर से श्री सुब्रह्मचन्द्र शर्मा श्वाकेट ने दावा वाकत श्वातेदारी अधिकारी दिये जाने का दावा प्रस्तुत किया। जमा बन्दी का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्भन से तलब किया जाये। पत्रावली दिनांक 8.1.18 को पेश है।


जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

8.1.18

वादी वकील उप०। प्रतिवादी नं० 1 का पत्र 27 नू 17 उपस्थित नहीं। प्रतिवादी नं० 2 का पत्र 27 नू 17 वापिस आ नहीं है वस्तुतः तादील दि० 9.2.18 को पेश है।


17.2.18

वादी वकील उप०। गताउसाह दि० 16.2.18 को पेश है।

18.2.18

वादी वकील उप०। Not Press कर दावा रकारिज कराने का कथन किया। वादी वकील द्वारा Not Press किये जाने से यह दावा इसी हेतु पर Not Press में रकारिज किया जाता है पत्रावली फसल शुमार होकर नम्बर से काम होकर दाखिल दफतर है।

Not Press



जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम